अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (हिंदी अनुभाग)

फा.सं.1-4/2025-हिं.अ.

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 दिनांक: **30·04·2**0**25**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्यक्रम।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है। यह वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है। इस वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

क्र.सं.	कार्य विवरण	क्षेत्र	लक्ष्य
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)/Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को From "A" to "A"	100%
		2. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को From "A" to "B"	100%
		3. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र	70%
		को From "A" to "C"	
		4. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/	100%
		संघ राज्य क्षेत्र के	
		कार्यालय/ व्यक्ति/	
		From Region "A" to Offices/individuals in States/UTs of "A" & "B" region.	
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना/Letters received in Hindi		100%
	to be answered in Hindi.		
3	हिंदी में टिप्पण/Noting in Hindi.		80%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम/Training Programme through Hindi medium		75%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती/ Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers.		80%
6	हिंदी में डिक्टेशन/ की बोर्ड पर सीधे टंकण(स्वयं तथा सहायक द्वारा)/ Dictation		70%
	in Hindi/Direct Typing on Key-board.(Self and by the Assistant)		
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)/Hindi Training (Language, Typing/Stenography).		100%
3	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना/Preparation of Bilingual Training Material.		100%
)	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचारपत्र, सीडी/डीवीडी,		50%
	पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई		
	राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय/ Expenditure for		
	the purchase of Hindi books etc., Including digital material i.e.,		
	Hindi e-books, Hindi e-newspaper,CD/DVD, Pen Drive including		
	amount incurred on Translation in Hindi from English & Regional Languages out of the total Library grant, excluding journals and		
	[25] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		

हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद/ Purchase of all		100%
electronic and the second of all		
electronic equipments, including computers having Bilingual i.e.		
Hindi and English working facility.		
वेबसाइट द्विभाषी हो/Website bilingual.		100%
नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्ड आदि दविभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	1	100%
Citizen charter and display of public interface Information Poord		100%
bilingual.		
मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों(उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा		30%
विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का		(न्यूनतम)
निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)/ Inspection by ministries/ Departments/		
offices of their offices located outside their Headquarters and by		
the officers(DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of offices)		
मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण / Inspections of sections at		30%
Headquarters.		(न्यूनतम)
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें/ Meetings of Official	वर्ष में 04 बैठकें	प्रति तिमाही
Language Implementation Committee regarding Official Language.		एक बैठक
कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद/ Translation of		100%
Codes, Manuals, forms, procedural literature.		
		45%
में हों / Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/		
	वेबसाइट द्विभाषी हो/Website bilingual. नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं/ Citizen charter and display of public interface Information Board bilingual. मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों(उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)/ Inspection by ministries/ Departments/ offices of their offices located outside their Headquarters and by the officers(DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of offices) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण / Inspections of sections at Headquarters. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें/ Meetings of Official Language Implementation Committee regarding Official Language. कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद/ Translation of	वेबसाइट द्विभाषी हो/Website bilingual. नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं/ Citizen charter and display of public interface Information Board bilingual. मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों(उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)/ Inspection by ministries/ Departments/ offices of their offices located outside their Headquarters and by the officers(DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of offices) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण / Inspections of sections at Headquarters. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें/ Meetings of Official Language. कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद/ Translation of Codes, Manuals, forms, procedural literature. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी मं हों / Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान "क" क्षेत्र में आता है। अतः संस्थान के सभी केन्द्र-प्रमुख तथा विभाग/अनुभाग के अध्यक्षगण से अनुरोध है कि वे वर्ष 2025-26 हेतु राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को सम्बन्धित अधिकारियों/स्टाफ के ध्यान में लाएं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास किए जाएं।

इस संबंध में किसी भी प्रकार के सहयोग हेतु हिंदी अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

(दिव्या यानामदाला)

वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी

वितरण:

- सभी केन्द्र-प्रमुख एवं विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण।

- तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक/अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हिरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलत हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलत हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सिम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।